



87

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू प्रबंध)

दूरभाष 0771 - 2512840

ई - मेल apccf-lm.cg a gov.in

क0/भू-प्रबंध/विद्युत/479-143/ 1008

रायपुर, दिनांक 31/03/2018

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
 भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 क्षेत्रीय कार्यालय - वेस्ट सेंट्रल रीजन
 ईस्टर्न विंग - भू तल
 न्यू सेक्रेटेरियेट भवन - VCA स्टेडियम के सामने
 सिविल लाईन, नागपुर - 440001

- विषय:** - **Diversion of 10.0555 ha. of Revenue Forest land and Protected Forest land in favour M/s Warora Transmission Limited for construction of Raipur - Rajnandgaon - Warora 765 KV/ DC Transmission line in Rajnandgaon District in the State of Chhattisgarh - regarding.**
- संदर्भ:** 1. पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 18792 / 2016
 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-II/CH-59/2017-NGP/ दिनांक 07.07.2017
 2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ एम-349 दिनांक 05.03.2018 एवं पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 2433 दिनांक 27.03.2018

-00-

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के संदर्भित पत्र -1 द्वारा राजनांदगांव वन मण्डल अंतर्गत प्रस्तावित 765 KV/ DC Transmission line in Rajnandgaon District निर्माण हेतु 10.0555 हे. वन क्षेत्र में गैर वानिकी उपयोग हेतु Director, WR Transmission Limited Ahmedabad को वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र -2 के माध्यम से प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है, वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-1)
(ii)	Compensatory afforestation over non-forest land equal in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency.	आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु खैरागढ़ वन मंडल के अंतर्गत निजी भूमि उपलब्ध कराई गई है उक्त भूमि का हस्तांतरण एवं नामांतरण वनमंडल खैरागढ़ के पक्ष में किया जा चुका है। संबंधित तहसीलदार, खैरागढ़ का आदेश दिनांक 01.02.2018 संलग्न है। (अनुलग्नक-2) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सम्पूर्ण भूमि 13.679 हे. हेतु वर्ष 2017-18 की लागू दर से कुल राशि 82,10,437 (रुपये बियासी लाख दस हजार चार सौ सैतीस मात्र) ई-चालान के माध्यम से वेब पोर्टल पर कैम्पा मद में जमा किया गया है। वेब जेनरेटेड भुगतान पत्रक से इसकी पुष्टि होती है। (अनुलग्नक-3)

(iii)	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त भूमि को 1:50,000 के निर्माण नक्शे में दर्शाया गया है। (अनुलग्नक-4)
(iv)	The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearance.	आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई निजी भूमि का नामांतरण छ.ग. शासन, वन विभाग के नाम में किया जा चुका है जिससे संबंधित अभिलेख फार्म बी-1, खसरा नक्शा, फार्म पी-2 संलग्न है। (अनुलग्नक-5) तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया हस्तांतरण/नामांतरण का आदेश दिनांक 01.02.2018 (अनुलग्नक-2) पर उपलब्ध है।
(v)	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, latest, within a period of six months from the date of issue of Stage-II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant sections of the local Forest Act, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record.	आवेदित वन भूमि 10.0555 हे. के विरुद्ध 13.679 हे. निजी भूमि को वन विभाग के नाम पर हस्तांतरण एवं नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। अभिलेख संलग्न है। (अनुलग्नक-5) भारतीय वन अधिनियम की धारा 4/29 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन से संबंधित कार्यवाही शर्त के अनुसार द्वितीय चरण की स्वीकृति के बाद 6 माह के अंदर की जानी है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है (अनुलग्नक-6)।
(vi)	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदित वन भूमि 10.0555 हे. के विरुद्ध 13.679 हे. निजी भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर के अनुसार नवीन दर से कुल राशि 82,10,437.00 (रुपये बियासी लाख दस हजार चार सौ सैतीस कैम्पा मद में जमा किया गया है। वेब जेनरेटेड भुगतान पत्रक से इसकी पुष्टि होती है। (अनुलग्नक-3)
(vii)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रत्याशा मूल्य (NPV) हेतु 69,01,853.00 (रुपये उनहत्तर लाख, एक हजार, आठ सौ तिरपन मात्र) ई-चालान के माध्यम से कैम्पा मद में वेब पोर्टल पर जमा किया गया है। वेब जेनरेटेड भुगतान पत्रक से इसकी पुष्टि होती है। (अनुलग्नक-3)
(viii)	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.	अधिरूपित शर्त आवेदक संस्थान को मान्य हैं। वचन पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-7)


(ix)	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Saving Bank Account pertaining to the State concerned.	आवेदक संस्थान द्वारा जमा की गई समस्त राशि रु. 14,47,50.14/- कैम्पा मद में जमा की गई है। वेब जनरेटेड भुगतान पत्रक से इसकी पुष्टि होती है। (अनुलग्नक-3)
(x)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	आवश्यकता नहीं है।
(xi)	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-8)
(xii)	The User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the the nearby forest areas.	आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन किया जायेगा। वचन पत्र संलग्न है (अनुलग्नक-9)
(xiii)	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.	आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन किया जायेगा। वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-10)
(xiv)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन किया जायेगा। वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-11)
(xv)	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area.	आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन किया जायेगा। वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-12)
(xvi)	The User Agency, If required, shall undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department.	आवेदक संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार निर्देश का पालन किया जायेगा। (अनुलग्नक-13)
(xvii)	Width of right of way for the transmission line shall be limited to 67 meters.	आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन किया जायेगा। (अनुलग्नक-14)
(xviii)	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	अधिरोपित शर्त का पालन किया जायेगा। (अनुलग्नक-14 ए)
(xix)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.	अधिरोपित शर्त का पालन किया जायेगा। (अनुलग्नक-15)
(xx)	The User Agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintain necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals.	आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित शर्त का पालन किया जायेगा। (अनुलग्नक-16)
(xxi)	Felling of trees shall be restricted to 317 trees only. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.	अधिरोपित शर्त अनुसार वृक्षों की निर्धारित संख्या में कटाई की जाएगी जो कि वन विभाग के नियंत्रण में होगा। वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-17)
(xxii)	To Minimize the felling for construction of transmission line, user agency shall comply with the following guidelines.	वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-18)

	<p>(a) Below each conductor, width clearance of 3 meters would be permitted for carrying the tension stringing equipment. The Trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be come up.</p> <p>(b) One outer strip may be left clear to permit maintenance of the transmission line.</p> <p>(c) In the remaining width the right of way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance, trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 9.0 meter clearance between conductors and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.</p> <p>(d) User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line, and provide funds for execution of the said scheme to the State Forest Department, and</p> <p>(e) In case a portion of the transmission lines to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearnce is already available, trees shall not be cut.</p>	<p>आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित भारत का पालन किया जायेगा।</p> <p>आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित भारत का पालन किया जायेगा।</p> <p>आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित भारत का पालन किया जायेगा।</p> <p>आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित भारत का आवयक्तानुसार पालन किया जायेगा।</p> <p>आवेदक संस्थान द्वारा अधिरोपित भारत का पालन किया जायेगा।</p>
(xxiii)	The User agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	<p>शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, परियोजना संलग्न है। (अनुलग्नक-19)</p> <p>अतिरिक्त राशि देय होने की स्थिति में आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया जाएगा इस आशय का भी वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-19 ए)</p>
(xxiv)	The State Government shall ensure that settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, has been completed in accordance with the Guidelines issued by the MoEF&CC in this regard;	कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा जारी दिनांक 18.11.2016 का वन अधिकार मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक- 20)
(xxv)	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1 st January and 1 st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-20ए)
(xxvi)	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31 st December of every year.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-20 बी)

(xxvii)	Any other condition that the concerned Regional Officer of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests, & wildlife.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-21)
(xxviii)	The User Agency and the State Government Shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project, and	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-22)
(xxix)	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the mo EF& CC's Guidelines dated 28.08.2015	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-23)

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग के प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति जारी किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न :- समस्त अनुलग्नक वचन पत्र, प्रत्याशा मूल्य गणना पत्रक तथा वेब जेनरेटेड भुगतान पत्रक


(एस.एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-143/ (50)

रायपुर, दिनांक 31/03/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन), छत्तीसगढ़।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मा.स.वि/सू.प्रौ), छत्तीसगढ़। इस पत्र को तथा संदर्भ-1 के पत्र को वेबसाईट पर अपलोड कराकर सूचित करने का अनुरोध है।


संलग्न:-संदर्भ -1 की छायाप्रति

4. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

5. वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव / खैरागढ़ वन मंडल, छत्तीसगढ़।

लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाइडलाईन दिनांक 28.08.2015 के अंतर्गत प्रथम चरण स्वीकृति में जारी शर्तों की पालन के शर्त पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ के पत्र 14/उत्पा-1/ 759/543 दिनांक 08.03.2018 के अनुक्रम में सीमांकन कार्य आवेदक संस्थान के व्यय की शर्त पर वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल को अधिकतम 317 वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन कार्य के लिए राशि 1,03,940/- रुपये पी.डी. खाते से आहरण की एवं कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित जॉबदर एवं निर्धारित नार्म्स के अधीन कराया जायेगा। यह अनुमति एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी।

6. Director, Chhattisgarh WR Transmission Limited, C-105, Samhav Building Judges Bungalow Road, Bodakdev, Ahmedabad - 380015


अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व. सं. अ)

OC छत्तीसगढ़